भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3525

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

3525. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः
श्री के. राधाकृष्णनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के आरंभ से अब तक इसके अंतर्गत उठाए गए कदमों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और देश में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति-एनएमपी की क्या विशेषताएं हैं;

(ख) पीएम गति शक्ति के अंतर्गत अनुमोदन हेतु अनुशंसित परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है और पीएम गति शक्ति के अंतर्गत प्रणाली का उपयोग करने के क्या लाभ हैं और इस योजना के लिए वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित और संवितरित की गई है और केरल राज्य में शुरू की गई परियोजनाओं के लिए निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएम गति शक्ति के अंतर्गत संस्तुत प्रत्येक परियोजना का क्षेत्र/मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पीएम गति शक्ति एनएमपी के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा कितनी प्रमुख परियोजनाओं की पहचान की गई है और तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का इस योजना में और मंत्रालयों को शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की पहल पर जिलास्तरीय अवसंरचना योजनाओं को पीएम गति शक्ति एनएमपी के विस्तारित कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने पीएम गति शक्ति जिला मास्टर प्लान पोर्टल तैयार किया है और इसकी प्रमुख विशेषताओं/उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार ने पीएम गति शक्ति एनएमपी के अंतर्गत जिला स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक परियोजना शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ कोई समझौता किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(झ) क्या नेपाल, श्रीलंका और अन्य देशों ने पीएम गति शक्ति पहल में रुचि दिखाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर पीएम गति शक्ति को लागू करने के कारणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) की शुरुआत 13 अक्टूबर, 2021 को हुई थी। इसकी शुरुआत के बाद से, अनेक प्रमुख कदम उठाए गए हैं जिनमें भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म का विकास, परिसम्पत्तियों की भू-स्थानिक मैपिंग, अवसंरचना विकास (आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना सहित) के लिए प्लानिंग टूल का निर्माण तथा केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण शामिल हैं। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) के रूप में व्यवस्थागत तंत्र की स्थापना की गई है।

अद्यतन स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा 8 अवसंरचना, 16 सामाजिक, 15 आर्थिक क्षेत्र के और 5 अन्य मंत्रालयों सहित 44 केंद्रीय मंत्रालयों को पीएम गतिशक्ति एनएमपी में शामिल किया गया है। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 959 लेयर्स और 44 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 726 लेयर्स सहित 1685 डाटा लेयर्स को एनएमपी प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया गया है। उठाए गए कदमों का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-क** पर दिया गया है।

मल्टीमोडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति एनएमपी का लाभ यह है कि इसमें **एकल भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म** का प्रावधान है, जिससे विभिन्न मंत्रालय (जैसे रेलवे, सड़क, पत्तन और एमओएचयूए के अंतर्गत मेट्रो नेटवर्क) समन्वित तरीके से अपनी अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बना सकते हैं। यह एकीकृत प्लानिंग देशभर में वस्तुओं और लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बेहतर **मल्टीमोडल कनेक्टिविटी** को सक्षम बनाती है।

(ख) : अवसंरचना मंत्रालय, परियोजना मैपिंग और पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के अनुसार परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) का उपयोग कर रहे हैं। अद्यतन स्थिति के अनुसार, एनपीजी ने केंद्रीय मंत्रालयों की 228 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिनकी कुल लागत 15.89 लाख करोड़ रुपए है। स्थल सर्वेक्षण से पहले, मुख्य इंटरसेक्शन को चिह्नित करने की क्षमता सहित समेकित डाटा लेयर्स की सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्धता से परियोजना की प्लानिंग के समय और लागत में कमी आई है। इसके अलावा, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने मंत्रालयों को पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न जैसे क्षेत्रों में शुरुआत से अंत तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचनागत कमी वाली परियोजनाओं की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने में सहायता की है।

पीएम गतिशक्ति पहल के तहत निधियों का विशेष रूप से आबंटन नहीं किया गया है। हालांकि, विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम-भाग II, 2022-23 के भाग के रूप में, पीएम गतिशक्ति से संबंधित व्यय के लिए केरल राज्य सहित विभिन्न राज्यों को 5000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। केरल राज्य सहित विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं की संख्या सहित स्कीम के तहत आबंटित निधि का ब्यौरा **अनुबंध-ख** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : पीएम गतिशक्ति के तहत, अवसंरचना मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावित और नेटवर्क प्लानिंग समूह द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं का, प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत सहित ब्यौरा डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के तहत उपलब्ध है-

https://dpiit.gov.in/sites/default/files/annexureC_dpiit.pdf

(ङ) : किसी भी मंत्रालय को पीएम गतिशक्ति एनएमपी में शामिल करने के संबंध में कोई रोक नहीं है। मंत्रालय अपनी आवश्यकताओं के आधार पर पीएम गतिशक्ति एनएमपी में शामिल हो सकते हैं।

(च), (छ) और (ज) : जिला स्तरीय अवसंरचना स्कीमें, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) की विस्तारित सीमा के अंतर्गत शामिल नहीं है।

पीएम गतिशक्ति जिला मास्टर प्लान पोर्टल को देश के 27 आकांक्षी जिलों में परीक्षण संस्करण के रूप में दिनांक 15.10.2024 को शुरू किया गया है। पीएम गतिशक्ति जिला मास्टर प्लान पोर्टल आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना प्लानिंग तथा जिला स्तर पर मास्टर प्लान तैयार करने के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्म है।

देशभर में पीएम गतिशक्ति एनएमपी के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ते हुए, पीएम गतिशक्ति जिला मास्टर प्लान पोर्टल का विकास, व्यापक रूप से एकीकृत जिला स्तरीय प्लानिंग के लिए डाटा-उन्मुख निर्णय लेने की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है जो यह सुनिश्चित करता है कि

जिला स्तर पर अवसंरचना विकास राज्य और राष्ट्रीय विकास उद्देश्यों के अनुरूप सरल एवं कारगर योजनाबद्ध दृष्टिकोण के अनुसार किया जाए। यह सरकार के विभिन्न स्तरों पर अनुकूलता और समन्वय को बढ़ावा देता है, जिससे लक्षित निवेश के संबंध में ऐसे निर्णय लेना संभव होता है जो स्थानीय जरूरतों और क्षमता संबंधी समस्याओं का समाधान करता है।

(ज) : अद्यतन स्थिति के अनुसार, राज्य सरकार के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया है।

(झ) : जी, हां। नेपाल और श्रीलंका सहित ग्लोबल साउथ के अनेक भागीदार देशों ने पीएम गतिशक्ति पहल में रुचि दर्शायी है।

*****

अनुबंध-क

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3525 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्त वर्ष 2021-2022

- एनपीजी के व्यवस्थागत तंत्र की स्थापना की गई।
- अवसंरचना मंत्रालयों को शामिल करने की शुरुआत।
- राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म पर अवसंरचना मंत्रालयों की परिसम्पत्तियों की मैपिंग और अवसंरचना परियोजनाओं की प्लानिंग
- प्लानिंग के लिए एनएमपी के इस्तेमाल हेतु राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों के क्षमता निर्माण की शुरुआत।

वित्त वर्ष 2022-23

- 8 मुख्य अवसंरचना मंत्रालयों को शामिल किया गया।
- राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर अवसंरचना मंत्रालयों की परिसम्पत्तियों की मैपिंग और अवसंरचना परियोजनाओं की प्लानिंग।
- केंद्रीय मंत्रालयों की 71 अवसंरचना परियोजनाओं की पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर मैपिंग की गई तथा एनपीजी में मूल्यांकन किया गया।
- प्लानिंग के लिए एनएमपी के इस्तेमाल हेतु राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों का क्षमता निर्माण जारी रखा गया।

वित्त वर्ष 2023-24

- सामाजिक क्षेत्र के 16 मंत्रालयों को शामिल किया गया।
- राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों की परिसम्पत्तियों की मैपिंग।
- केंद्रीय मंत्रालयों की 74 अवसंरचना परियोजनाओं की पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर मैपिंग की गई तथा एनपीजी में मूल्यांकन किया गया।
- मंत्रालयों द्वारा राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं की प्लानिंग।
- प्लानिंग के लिए एनएमपी के इस्तेमाल हेतु राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों का क्षमता निर्माण जारी रखा गया।

वित्त वर्ष 2024-25

- आर्थिक क्षेत्र के 15 मंत्रालयों को शामिल किया गया।
- राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर आर्थिक क्षेत्र के मंत्रालयों की परिसम्पत्तियों की मैपिंग।
- केंद्रीय मंत्रालयों की 83 अवसंरचना परियोजनाओं की पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर मैपिंग की गई तथा एनपीजी में मूल्यांकन किया गया।
- मंत्रालयों द्वारा राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर परियोजना प्लानिंग।
- प्लानिंग के लिए एनएमपी के इस्तेमाल हेतु राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों का क्षमता निर्माण जारी रखा गया।

*****

अनुबंध-ख

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3525 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम, 2022-23 के भाग-II के अंतर्गत आबंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	एससीए के भाग II के तहत वित्तीय आबंटन (करोड़ रुपए में)	संस्तुत निधि का मूल्य (करोड़ रुपए में)	डीओई को संस्तुत परियोजनाओं की संख्या	डीओई द्वारा वास्तव में संवितरित निधि (करोड़ रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	202	202	2	202
2	अरुणाचल प्रदेश	88	87.85	3	87.85
3	असम	156	156	6	156
4	बिहार	503	515.49	20	502.92
5	छत्तीसगढ़	170	168.42	23	168.42
6	गोवा	19	19	1	19
7	गुजरात	174	174	3	174
8	हरियाणा	55	55	3	55
9	हिमाचल प्रदेश	42	42	3	42
10	झारखंड	165	165	3	165
11	कर्नाटक	182	182	2	182
12	केरल	96	96	4	96
13	महाराष्ट्र	316	316	8	316
14	मणिपुर	36	38.72	4	36
15	मेघालय	38	38	1	38
16	मिजोरम	25	38.86	3	25
17	मध्य प्रदेश	393	584.45	12	393
18	नागालैंड	28	35	5	28.43
19	ओडिशा	226	226	13	शून्य*
20	पंजाब	90	90	1	90
21	राजस्थान	301	301	7	301
22	सिक्किम	19	41	3	19
23	तमिलनाडु	204	204	8	204
24	तेलंगाना	105	105	1	100
25	त्रिपुरा	35	35	4	35
26	उत्तराखंड	56	110.72	2	56
27	उत्तर प्रदेश	897	952	15	896.91
28	पश्चिम बंगाल	376	517.36	31	376
	कुल	**4997**	**5495.87**	**191**	**4764.53**

*ओडिशा राज्य को कोई निधि आबंटित नहीं की गई थी।

*****